न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, हाथरस। ANNEXURE - 1
Crl.T.A. – 52/2024
रामहरी शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार

10.04.2024

To,
ADJ/FTC-I,
Hathras.

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वम्भर सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र 33ख इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि सत्र परीक्षण संख्या 311/2017 राज्य बनाम् देवेन्द्र अग्रवाल आदि में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2024 को निर्णय घोषित कर दिया गया है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है।

पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि आवेदक रामहरी शर्मा द्वारा यह स्थानांतरण प्रार्थना पत्र, सत्र परीक्षण संख्या 228/2021 राज्य बनाम् शशिकान्त शर्मा आदि एवं सत्र परीक्षण संख्या 311/2017 राज्य बनाम् देवेन्द्र अग्रवाल आदि को कास केस बताते हुये दोनों सत्र परीक्षण को एक साथ विचारण किये जाने हेतु किसी एक न्यायालय में अंतरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 08.04.2024 के पश्चात दिनांक 10.04.2024 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी थी तथा दोनों सत्र परीक्षण की पत्रावलियाँ प्राप्त हो गयी थी।

दिनांक 09.04.2024 को सम्बन्धित विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0–प्रथम, हाथरस द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 311/2017 राज्य बनाम् देवेन्द्र अग्रवाल आदि की पत्रावली को वापस मंगाये जाने के सम्बन्ध में एक आदेश/मांग–पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया था, जो कि 12.30 पी.एम. पर प्राप्त हुआ। जिसके अनुक्रम में इस न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 311/2017 राज्य बनाम् देवेन्द्र अग्रवाल आदि की पत्रावली सम्बन्धित विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी कि सुनवाई के पश्चात् पत्रावली अविलम्ब पुनः इस न्यायालय में प्रेषित की जाये ताकि कास केस से सम्बन्धित अंतरण प्रार्थना पत्र का विधि अनुसार निस्तारण किया जा सके। इस सम्बन्ध में पृथक से एक पत्र दिनांकित 09.04.2024 प्रेषित किया गया था, जो सम्बन्धित विचारण न्यायालय को प्राप्त हुआ।

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश हाथरस

किन्तु विपक्षीगण द्वारा न्यायालय को उपरोक्त प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि सत्र परीक्षण संख्या 311/2017 राज्य बनाम् देवेन्द्र अग्रवाल आदि में सम्बन्धित विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है।

अतएव ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से दिनांक 12.04.2024 तक स्पष्ट आख्या आहूत की जाये कि कास केस से सम्बन्धित स्थानांतरण प्रार्थना पत्र की अंतिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 10.04.2024 से पूर्व मामले का निस्तारण किन परिस्थितियों में कर दिया गया।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 15.04.2024 को पेश हो।

sd/-
सत्र न्यायाधीश, हाथरस।
10.04.2024

TRUE COPY
10/04/24
Session Clerk
Sessions Court,
Hathras